कार्यालय, जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

ई–मेल आईडी zp-dhamtari.cg@nic.in एवं दूरभाष क्रमांक 07722–232501, फैक्स नं. 07722–236705

//विज्ञापन//

क्रमांक/6602/जि.पं./PMAY-G/2025 धमतरी, दिनांक20.01.2025

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर संविदा रिक्त पद की पूर्ति हेतु कार्यालयीन पत्र क. 4510/जि.पं./PMAY-G/2024 धमतरी दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमे अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण विकासखंड समन्वयक के पद मे पुनः भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है।

01 विकासखंड स्तर के पदः–

क्र	पदनाम/वर्ग	विकासखंड स्तर	अनारक्षित		अ.जा.वर्ग		अ.ज.जा.वर्ग		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	विकासखंड समन्वयक	नगरी	—	—	—	—	01	—	—	—	01	—
योग			—	—	—	—	01	—	—	—	01	—

क्र	पदनाम	संविद	आर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	विकास खंड समन्वयक	39875/– (लेवल 10)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से बी.ई./बी.टेक. में न्यूनतम 60 % अंक के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60 % अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20 अंक
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30 अंक
				शासकीय/गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक	20 अंक
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20 अंक
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	10 अंक
				प्राथमिकता • शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता। • निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता।	

अनिवार्य शर्तः– अनुभव हेतु पद मे दिए गये आवश्यक वर्षो का सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है।

उक्त संविदा रिक्त पद के लिए भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत है:—

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 05.02.2025 कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई—मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय—सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्क दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9—1/2012/1—3 दि. 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।
8. संविदा अवधि में छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेशन, उपादान या मृत्यु—लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
13. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेंगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता हे तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
15. अनुभव के लिए नियोक्ता अथवा कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से आवश्यक वर्षो का सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट एवं नियुक्ति पत्रक सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
16. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
17. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

18. ओवदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

19. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

21. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला धमतरी कलेक्टर, धमतरी कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है तथा विभाग वेबसाईट www.dhamtari.nic.in एवं www.dhamtari.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।

20/1/25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत धमतरी

पृ. क्रमांक 6603/जि.पं./PMAY-G/2025
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 20.01.2025

01- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंद्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।

02- कलेक्टर, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।

03- सर्व संबंधित श्री.. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत धमतरी